



Neutral Citation No. -2026:AHC:4908

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3855 वर्ष 2025

आनन्द कुमार

.....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित गुप्ता, प्रतीक्षा राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतीक्षा राय, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बब्बन सिंह और भूमि प्रबंध समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

3. प्रस्तुत जनहित याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"1- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जो प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निदेशित करे कि वे प्रत्यर्थी संख्या 5 से 10 को ग्राम सभा भूमि अर्थात् अराजी संख्या 79 क्षेत्रफल 1 एकड़ 5 डिसमिल (नया संख्या 233/0.425 हेक्टेयर) और अराजी संख्या 81म क्षेत्रफल 0.52 एकड़ (नया संख्या 235/0.210 हेक्टेयर) जो भिटा की भूमि है तथा अराजी संख्या 80 तालाब की भूमि (नया संख्या 236/0.190, 237/0.190, 238/0.190, 240/0.324, 239/0.012, 241/0.049, 242/0.154 हेक्टेयर) अराजी संख्या 249/0.563 हेक्टेयर और अराजी संख्या 134/0.162 हेक्टेयर बंजर भूमि, जो ग्राम बेनीपुर, परगना गोपालपुर, तहसील मरिआहू, जिला जौनपुर में स्थित है, से बेदखल करें, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 5 से 10 द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।"

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निजी प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत भूखण्ड पर अवैध और मनमाने ढंग से दर्ज किया गया है, अतः उक्त प्रविष्टि को विलोपित किया जाना चाहिए। उन्होंने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह प्रदर्शित करने के लिए कि निजी प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत भूखण्ड पर अवैध रूप से दर्ज किया गया है, लेखपाल की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के सम्बंध में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत भूखण्ड पर श्रेणी 1 (क) के खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है।

7. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत, राजस्व प्रविष्टि के संशोधन हेतु संक्षिप्त कार्यवाही आरम्भ करने या नियमित वाद दायर करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अतएव खातेदारों की प्रविष्टि विलोपित करने के लिए जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

8. प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. तदनुसार, प्रस्तुत जनहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8 जनवरी, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।